Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

जगदीश बनाम मनोहरी वगै

किस्म मुकदमा:– अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

नं. मुकदमा 159 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2024	आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एडवोकेट कुलदीप गौड़ द्वारा पेश की गई । सरिस्ते से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। रजि'एडी. नोटिस जारी हो। वकील प्रार्थी के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थनापत्र एवं संलग्न शपथ पत्रो पर विश्वास करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी हो कि अप्रार्थीगण संख्या 3 आगामी तारीख पेशी तक वादगत भूमि मौजा रोही ग्राम कालू के खसरा नम्बर 340 मे, तादादी 5.5600 हैक्टेयर भूमि मे रिकॉर्ड व पंजीयन की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, सरकारी रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते तलबी दिनांक 21.08.2024 को पेश हो। Rajendra	जारी 599 02/7/24
19/07/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते जवाब आयन्दा दि. 30/7/24 को पेश हो। Rajendra S.D.O.	
30/07/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. वास्ते जवाब आयन्दा दि. 05/8/24 को पेश हो। Rajendra S.D.O.	
05/08/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करते हुए वकील प्रार्थी ने तात्कालिक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया जिस पर वकील अप्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीया वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 340 की सहखातेदार है	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	और सहखातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है अतः पत्रावली में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जावे। बहस उभयपक्ष सुनी गयी बाद बहस पत्रावली में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा हो मूलदावे के शामिल हो। Rajendra उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	